

संख्या:

/XXIV-2/2004

प्रेषक,

एस० कौ० माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में.

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र -2,
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग देहरादून दिनोंक ०६ अक्टूबर, 2004

विषय: एस०एस० पब्लिक स्कूल गदरपुर, उधमसिंह नगर को
सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि
एस०एस० पब्लिक स्कूल गदरपुर, उधमसिंह नगर को सी०बी०एस०ई० नई
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य
सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्वासित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा वैसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुग्रह वेतनभानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनभान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।

MANAGER
S.T. SOLDIER MISSION SCHOOL SOCIETY
GADARPUR (U.S.NAGAR)

[Signature]
PRINCIPAL
S.S. PUBLIC SCH.
Gadarpur (U.S.Nag.)

- 6— कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र /पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9— उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10— 02 अप्रशिक्षित अध्यापकों को 02 वर्ष के अन्दर प्रशिक्षित कर लिये जाने तथा पुस्तकालय, शिक्षक कक्ष, प्रयोगशाला निर्धारित भाषा से छोटे हैं और भण्डार कक्ष का उल्लेख नहीं किया है। इन कमियों का निराकरण एक वर्ष के अन्दर पूर्ण किया जाय।
- 2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूंक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा।
भवदीय,

(एस० के० माहेश्वरी)
अपर सचिव

मा० - २१
संख्या: (1) XXIV-2/2004 तददिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु
प्रेषित—

- 1— शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2— संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमार्य मण्डल—, नैनीताल।
- 3— जिला शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- ✓4— प्रबन्धक, एस०एस० पब्लिक स्कूल गढ़पुर, उधमसिंह नगर।
- 5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

D

(राजेन्द्र शिंह)
PRINCIPAL
S.S. PUBLIC SCHOOL
Gadarpur (U.S.Nagar) U.P.

MANAGER
ST. SOLDIER MISSION SCHOOL SOCIETY
GADARPUR (U.S.NAGAR)